



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



Website: www.res.uk.gov.in

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक: 67 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2025-26

दिनांक: 19.06.25

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड।

2- समस्त अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड।

विषय :- स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 (4) के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण समिति द्वारा की गई कार्यवाही का कार्यवृत्त।

उपर्युक्त विषयक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के परिपालन में वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के विभिन्न स्थानान्तरण आदेशों द्वारा विभाग में कार्यरत तकनीकी संवर्ग/मिनिस्ट्रियल संवर्ग /वैयक्तिक सहायक संवर्ग के स्थानान्तरण किए गए थे, तत्पश्चात् स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 22 (4) के क्रम में स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किए जाने हेतु दिनांक 10.06.2025 को समिति की बैठक की गई थी।

अतः बैठक में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर समिति द्वारा की कार्यवाही का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- दिनांक-10.06.2025 की बैठक का कार्यवृत्त।

हो।
अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-1-मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2-मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाऊ मण्डल भीमताल, नैनीताल।
3-विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

हो।
अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 22 (4) के क्रम में स्थानान्तरण आदेश में सारगर्भित/टंकण त्रुटि के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 2025 की कार्यवाही।

आज दिनांक 10 जून, 2025 को विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) की अध्यक्षता में निम्नांकितों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।	अध्यक्ष	इं० अनिल कुमार
2- अधीक्षण अभियन्ता (मॉ०) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य	इं० तेजपाल
3- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य	इं० श्रीपति डोभाल
4- अधिशासी अभियन्ता यू०आर०आर०डी०ए० उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य	इं० विजयपाल नेगी

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 तथा शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के तहत स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों तथा अनुरोध के आधार पर अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के स्थानान्तरण किये गए थे।

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हेतु समस्त कार्मिकों को गूगल फॉर्म का लिंक उपलब्ध कराते हुए आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र संख्या-563 दिनांक 06 जून, 2025 के द्वारा टंकण त्रुटियों एवं प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 10 जून, 2025 को समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा लिये गए निर्णय निम्नवत् है:-

कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्र० सं०	कार्मिकों का नाम	पूर्व तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	प्राप्त प्रत्यावेदन का आधार	स्थानान्तरण समिति की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संदीप कुमार	प्रखण्ड हरिद्वार	प्रखण्ड चमोली	छूट की धारा के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्पों अथवा अन्य सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
2.	श्री पारस पाण्डे	प्रखण्ड टिहरी	प्रखण्ड भिकियासैण	अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अपात्र कार्मिक एवं स्थानान्तरण हेतु किसी भी प्रकार का अनुरोध नहीं किया गया है।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।

3.	श्री विकास अंधवाल	प्रखण्ड देहरादून	प्रखण्ड नैनीताल (दुर्गम)	छूट की धारा के अनुसार स्थानान्तरण निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
4.	श्री महेन्द्र सिंह राणा	प्रखण्ड पौड़ी	प्रखण्ड उत्तरकाशी	डि०ई०सं० के जनपद अध्यक्ष का दायित्व होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
5.	श्री अमित कुमार	प्रखण्ड पौड़ी	प्रखण्ड चम्पावत	डि०ई०सं० के जनपद सचिव का दायित्व होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
6.	श्री दीपक कुमार	प्रखण्ड पिथौरागढ़	प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर	यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।
7.	श्री अनुराग शर्मा	प्रखण्ड हरिद्वार	प्रखण्ड उत्तरकाशी	छूट की धारा के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्पों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
8.	श्री कमल प्रकाश पालीवाल	प्रखण्ड अल्मोड़ा	प्रखण्ड भिकियासैण	यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।
9.	श्री सुनिल कुमार	प्रखण्ड हरिद्वार	प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर	डि०ई०सं० के जनपद अध्यक्ष का दायित्व होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
10.	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रखण्ड नैनीताल	प्रखण्ड भिकियासैण	स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
11.	श्री नन्द किशोर	प्रखण्ड नैनीताल	प्रखण्ड भिकियासैण	स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
12.	श्री बिहारी लाल पैन्थूली	प्रखण्ड हरिद्वार	प्रखण्ड उत्तरकाशी	छूट की धारा के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्पों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध।	समिति का निर्णय यथावत्।
13.	श्री छोटे लाल	प्रखण्ड नैनीताल	प्रखण्ड भिकियासैण	प्रखण्ड नैनीताल में ही यथावत् रहने तथा प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।
14.	श्री लक्ष्म सिंह	प्रखण्ड ऊधम सिंह नगर	प्रखण्ड हरिद्वार	डि०ई०सं० के जनपद सचिव का दायित्व होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
15.	श्री संदीप कुमार	प्रखण्ड चम्पावत	प्रखण्ड पौड़ी	डि०ई०सं० के जनपद अध्यक्ष का दायित्व होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
16.	श्री ऋषभ शाह	प्रखण्ड चम्पावत	प्रखण्ड पिथौरागढ़	यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।
17.	श्री ललित मोहन लोहिया	प्रखण्ड पिथौरागढ़	प्रखण्ड चम्पावत	प्रखण्ड चम्पावत के स्थान पर प्रखण्ड डीडिहाट में	समिति का निर्णय यथावत्।

				स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया।	
18.	श्री अनिल कुमार	प्रखण्ड हरिद्वार	प्रखण्ड अल्मोड़ा (सुगम)	प्रखण्ड देहरादून एवं हरिद्वार में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के विचारार्थ हेतु प्रस्तुत।
19.	कु0 आंचल बिष्ट	प्रखण्ड उत्तरकाशी	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	निकटतम प्रखण्ड में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)

क्र० सं०	कार्मिकों का नाम	पूर्व तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	प्राप्त प्रत्यावेदन का आधार	स्थानान्तरण समिति की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	शाहनवाज अन्सारी	प्रखण्ड बागेश्वर	प्रखण्ड चम्पावत	सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण यदि सम्भव नहीं है, तो प्रखण्ड बागेश्वर में यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया।	समिति का निर्णय यथावत्।

सदस्य

अधिसासी अभियन्ता (मुख्यालय)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सदस्य

अधिसासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सदस्य

अधीक्षण अभियन्ता (माँ0)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता (स्तर-2),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 22 (4) के क्रम में वर्ष 2025-26 में जारी स्थानान्तरण आदेश में सारगर्भित/टंकण त्रुटि के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किए जाने हेतु स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-10.06.2025 की कार्यवाही।

आज दिनांक-10.06.2025 को विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून की अध्यक्षता में निम्नांकितों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1- अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून।	अध्यक्ष	इं० अनिल कुमार
2- अधीक्षण अभियन्ता (मौ०) ग्रामीण निर्माण विभाग कार्या० मुख्य अभि०(स्तर-1) उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य	इं० तेजपाल
3- अधिशासी अभियन्ता (मु०) ग्रामीण निर्माण विभाग कार्या० मुख्य अभि०(स्तर-1) उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य	इं० श्रीपति डोभाल
4- अधिशासी अभियन्ता यू०आर०आर०डी०ए० उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य	इं० विजयपाल नेगी

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 तथा शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के तहत स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों तथा अनुरोध के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल)/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) के स्थानान्तरण किए गए थे।

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु समस्त कार्मिकों को गूगल फॉर्म का लिंक उपलब्ध कराते हुए आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र संख्या 563 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा टंकण त्रुटियों एवं प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किए जाने हेतु दिनांक 10.06.2025 को समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय निम्नवत् है:-

सहायक अभियन्ता (सिविल)

06 सहायक अभियन्ताओं के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र० सं०	कार्मिकों का नाम	पूर्व तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	प्राप्त प्रत्यावेदन का आधार	स्थानान्तरण समिति का निर्णय
1	2	3	4		
1-	श्री शुभम कुमार सिंह	प्रखण्ड कोटद्वार	प्रखण्ड चमोली	स्थानान्तरण आदेश में हुई टंकण त्रुटि के संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।	स्थानान्तरण आदेश में त्रुटिवश शुभम कुमार सैनी हो गया है, जिसे शुभम कुमार सिंह कर दिया जाए।
2-	श्री देवेन्द्र कुमार कोठारी	मुख्य अभि० (स्तर-2)	-	प्रखण्ड नैनीताल में माह सितम्बर में होने वाली रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किए जाने का अनुरोध किया किया गया है।	स्थानान्तरण हेतु अपात्र कार्मिक तथा वर्तमान कार्यस्थल में कार्यकाल अवधि पूर्ण न किए जाने के कारण समिति द्वारा पूर्व में ही अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। समिति का निर्णय यथावत है।
3-	श्री ओम प्रकाश भट्ट	प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर	मुख्य अभि० (स्तर-2)	प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर में ही यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध।	शासनादेश सं०-1/120994 दिनांक 10.05.2023 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत सुगम से सुगम स्थानान्तरण किया गया है। समिति का निर्णय यथावत है।
4-	श्री गजेन्द्र सिंह राणा	प्रखण्ड पौड़ी	-	प्रखण्ड देहरादून में माह जुलाई में होने वाली रिक्ति के सापेक्ष	पूर्व में प्रेषित विकल्पो के आधार पर ही प्रखण्ड पौड़ी में यथावत रखे जाने का

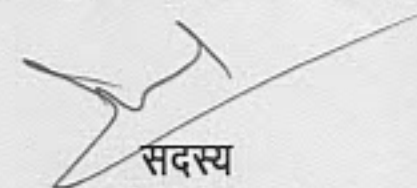
10/06/25

				स्थानान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।	निर्णय लिया गया था। समिति का निर्णय यथावत है।
5-	श्री ईश्वर सिंह रावत	प्रखण्ड देहरादून	परिमण्डल देहरादून	परिमण्डल देहरादून में किए गए स्थानान्तरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	एक ही स्थान पर 08 वर्ष से अधिक का कार्यकाल होने पर शासनादेश सं०-1/120994 दिनांक 10.05.2023 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत सुगम से सुगम स्थानान्तरण किया गया है। समिति का निर्णय यथावत है।
6-	श्री विनोद बडोनी	पी०एम०जी० एस०वाई कर्णप्रयाग	-	प्रखण्ड देहरादून में माह जुलाई में होने वाली रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड में कार्यकाल अवधि पूर्ण न होने के कारण समिति द्वारा यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया था। समिति का निर्णय यथावत है।

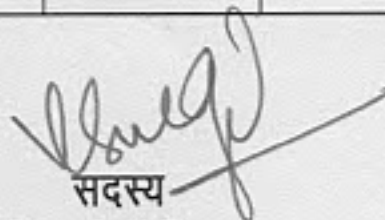
कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)

03 कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं-

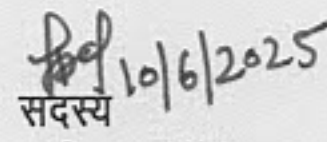
क्र० सं०	कार्मिकों का नाम	पूर्व तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	प्राप्त प्रत्यावेदन का आधार	स्थानान्तरण समिति का निर्णय
1	2	3	4		
1-	श्री बालम सिंह	प्रखण्ड बागेश्वर	परिमण्डल नैनीताल	दिव्यांगता के दृष्टिगत स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुए प्रखण्ड बागेश्वर में यथावत रखे जाने का अनुरोध	19 वर्षों से प्रखण्ड बागेश्वर में ही कार्यरत होने के कारण दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण किया गया है। समिति का निर्णय यथावत है।
2-	श्री मनोज सिंह	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	परिमण्डल देहरादून	प्रखण्ड चमोली में स्थानान्तरण किए जाने हेतु अनुरोध।	पूर्व में प्रेषित विकल्पों के आधार पर ही स्थानान्तरण किया गया था। परन्तु सुगम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध के आधार पर व प्रखण्ड चमोली में रिक्ति के सापेक्ष विचार किया जा सकता है।
3-	श्री भगवती प्रसाद टम्टा	परिमण्डल नैनीताल	प्रखण्ड हरिद्वार	निकट कार्यालय प्रखण्ड/परिमण्डल नैनीताल में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध।	प्रखण्ड/परिमण्डल नैनीताल में पद रिक्ति न होने तथा शासनादेश सं०-1/120994 दिनांक 10.05.2023 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत सुगम से सुगम स्थानान्तरण किया गया है। समिति का निर्णय यथावत है।


सदस्य

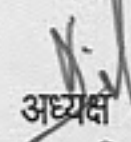
अधिशाली अभियन्ता(मु०)
का० मु०अभि० (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।


सदस्य

अधिशाली अभियन्ता
यू०आर०आर०डी०ए०
उत्तराखण्ड, देहरादून।


सदस्य

अधीक्षण अभियन्ता(मॉ०)
का० मु०अभि० (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।


अध्यक्ष

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून।